



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची ।

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र

कल्याण विभाग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के दौरान वितरण हेतु Brochure, Souvenir, Pamphlets एवं Flex तैयार किया जाना है। इस निमित प्रिन्टिंग संबंधी कोटेसन झारखण्ड राज्य के जिनकी जीवित वाणिज्यकर/सेवाकर निबंधन हो से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त के लिए विनिर्देश निम्नप्रकार है :-

SL. No.	Item	Qty.	Specification
1.	Brochure	1000	Inner Pages Multi colour 4 Pages with Designing & Printing - 170 GSM Art Paper
2.	Souvenir	500	Designing & Printing of Cover Page Multi colour - 300 GSM Art Board with Lamination and 150 inner pages with 8 pages Multi colour - 130 GSM Art Paper
3.	Pamphlets	50000	
4.	Flex (Square Feet)	आवश्यकतानुसार	

तकनीकी अर्हता

1. फर्म निबंधित होना चाहिए।
2. फर्म के नाम से अथवा फर्म के मालिक के नाम से TIN/VAT एवं PAN होना चाहिए।
3. फर्म को पूर्व के 03 वर्षों का आयकर रिटर्न से संबंधित कागजात होना चाहिए उपरोक्त सभी कागजात तकनीकी बीड में संलग्न होना चाहिए।

301

निविदा प्रक्रिया

1. निविदा 02 लिफाफा एक में तकनीकी बीड एवं दूसरे में वित्तीय बीड होगा तथा दोनो लिफाफा तीसरे लिफाफे में सीलबंद होगा एवं उस पर मोटे अक्षरों से **प्रिन्टिंग हेतु निविदा** लिखा होना चाहिए।
2. निविदा के तकनीकी बीड के साथ निविदा मूल्य स्वरूप 500/-रु0 का डिमांड ड्राफ्ट, जो "आदिवासी कल्याण आयुक्त" के नाम से होगा, संलग्न करना होगा एवं यह वापस नहीं किया जायेगा।

निर्धारित तिथि

निविदा निम्नवत् निर्धारित तिथि को आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय तृतीय तल, कमरा नं0-303, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा रॉची में समर्पित किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

क	निविदा निर्गत की तिथि	:	25.07.2015
ख	निविदा बेचने की तिथि	:	27.07.2015 से 31.07.2015 मध्याह्न 12:00 बजे तक
ख	निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि	:	31.07.2015 को संध्या 06.00 बजे तक
ग	निविदा खुलने की तिथि एवं समय	:	03.08.2015 को पूर्वा0 11.30 बजे

नियमानुसार विपत्र की राशि से टी0डी0एस0 / भैट की कटौती की जायेगी। मुद्रण की गुणवत्ता ठीक नहीं होने पर सामग्री नहीं ली जायेगी। मुद्रण सामग्री लाने हेतु अलग से व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की जायेगी। किसी एक या सभी कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

204
24-7-15
आदिवासी कल्याण आयुक्त।
M
24-7-15

